संख्या- 99/2026/167के-2/22-3-2025-17(312)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल पुत्र श्री केदार पाल, निवासी जनपद- हरदोई की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-3591/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम0-21.01.2025 दिनांक-28.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल पुत्र श्री केदार पाल, बेहसार, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का निवासी है। लोडर लूटने के इरादे से दिनांक 23/24.12.2005 की रात्रि को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-400/2006, धारा-302/34, 394, 201, 302/120बी, 394/120बी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट), उन्नाव के आदेश दिनांक 14.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2024 तक 16 वर्ष, 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 67 वर्ष, 06 माह, 23 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल पुत्र केदार पाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह, 17 दिन तथा 19 वर्ष 09 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगे जाने, जेल आचरण संतोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने हेतु उपयुक्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल पुत्र श्री केदार पाल को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल (बन्दी संख्या-27290) पुत्र श्री केदार पाल, निवासी जनपद-हरदोई को प्रोबेशन बोर्ड द्वारा फार्म-ए/लाईसेंस पर उक्त बन्दी को फार्म/लाईसन्स के आधार पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी संस्तुति को सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 99/2026/167के-2/22-3-2025-17(312)/2025

दिनांक 06 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल पुत्र श्री केदार पाल, वेहसार, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का निवासी है। लोडर लूटने के इरादे से दिनांक 23/24.12.2005 की रात्रि को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-400/2006, धारा-302/34, 394, 201, 302/120बी, 394/120बी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट), उन्नाव के आदेश दिनांक 14.06.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2024 तक 16 वर्ष, 01 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 67 वर्ष, 06 माह, 23 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल पुत्र केदार पाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 01 माह, 17 दिन तथा 19 वर्ष 09 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगे जाने, जेल आचरण संतोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने हेतु उपयुक्त होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस आधार एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामबली पाल पुत्र श्री केदार पाल को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है।

सम्यक् विचारोपरान्त उक्त बन्दी को लाइसेन्स पर मुक्ति का पात्र नहीं पाते हुए श्री राज्यपाल द्वारा समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in